न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 53/2019 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00253

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
हीरालाल परिहार पुत्र पुखराज जाति छीपा, निवासी चाणोद तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत चाणोद पंचायत समिति सुमेरपुर जिला–पाली (राज.) जरिये सरपंच। 2. श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नी कान्तिलाल परिहार 3. कान्तिलाल परिहार पुत्र पुखराजजी जातिगण–छींपा निवासीगण–चाणोद, तहसील–सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोलंकी
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 20/9/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत चाणोद पंचायत समिति सुमेरपुर द्वारा मिसल संख्या 38/2012–13 संकल्प संख्या (अंकित नहीं) की पालना में पारित पट्टा संख्या 08 दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि उमरावदेवी द्वारा दिनांक 31.5.1978 को एक भूखण्ड (थाला) वाके रोडला का बास गाँव चाणोद में बनाप 60 फिट बाई 22.5 फिट का मांगीलाल पुत्र रघुनाथ जी जाति कलाल निवासी चाणोद से क्रय किया गया था जिसका बेचाणनामा उपपंजीयक बाली के यहां प्रस्तुत जो 23.6.1978 को पंजीबद्ध किया हुआ है। उसके मकान का एक हिस्सा प्रार्थी हीरालाल के छोटे भाई कान्तीलाल को रहने हेतु दिया हुआ था। प्रार्थी परिवार सहित रानी रहने चला गया एवं इस दौरान अप्रार्थी कान्तीलाल द्वारा प्रार्थी व उसकी पत्नी की जानकारी से परे बाले–बाले उक्त मकान के आधे हिस्से का जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत चाणोद के सेक्रेटरी वगैरा से मिलावट कर कान्तीलाल की पत्नी शकुन्तला देवी के नाम बनवा दिया गया जो खारिज योग्य है ग्राम पंचायत से मिसल संख्या 38/2012–13 की प्रमाणित प्रति की मांगी गई इस पर मिसल ग्राम पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया तथा मिसल मिलने पर दे दी जायेगी का आश्वासन दिया लेकिन मिसल पंचायत नें नहीं बनाई। बनाई गई होती तो रेकर्ड होता ओर रेकर्ड होता तो अवश्य नकल मिल जाती। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व न तो प्रार्थी द्वारा आवेदन पेश किया गया न नियमानुसार शुल्क ही जमा कराया न ही अन्तिम विनिश्चय किया गया तथा न ही आक्षेप आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी किए गए न 50 वर्षों से पूर्व का [illegible] किया गया न पट्टा जारी करने का प्रस्ताव ही पारित करने का [illegible] है इस प्रकार फर्जी व कूटरचित पट्टा जारी कर दिया [illegible] पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) के अधीन [illegible] जारी किया गया [illegible]तैनी भूमी का 50 वर्षों से अधिक कब्जा होने पर [illegible] दिया जा सकता है [illegible] अप्रार्थीया शकुन्तलाल को जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया जो पुश्तैनी भूमी का

क्रमश.....................2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:23:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

50 वर्षों से अधिक कब्जा होने पर दिया जाना चाहिए था लेकिन अप्रार्थिया शकुन्तला को जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया वह अप्रार्थिया का पुश्तैनी भूखण्ड नहीं है न ही 50 वर्षों से कब्जा है उक्त भूखण्ड प्रार्थी की पत्नी उमराव द्वारा ही 1978 में क्रय किया गया था उसे भी 50 वर्ष नहीं हुए है इसके साथ ही अप्रार्थीया को जारी पट्टे के अलावा भूमी भी प्रार्थी की पत्नी उमराव द्वारा क्रय की गई थी तथा उसे प्रार्थी के रानी जाने के बाद अपने भाई कान्तिलाल परिहार को रहने हेतु भूखण्ड दिया था उसका पट्टा अपनी पत्नी शकुन्तला के नाम बनवा दिया जिसे विधिसम्मत पट्टा जारी होना नहीं माना जा सकता है इस वजह से भी पट्टा एवं प्रस्ताव निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टा पंचायत कोरम में प्रस्ताव लिए बिना ही जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। पट्टे पर प्रस्ताव संख्या 5(8) दिनांक 15.1.2013 अंकित है लेकिन दिनांक 15.1.2013 के प्रस्ताव में मिसल संख्या 01/2012–13 से 101/2012–13 तक की पत्रावलियों में गवाहों के बयान कलमबद्ध करने का उल्लेख है। कई वर्षों से कब्जा होने के कारण नियम 157(ख) के तहत नक्शे अनुसार भूमी 200 रूपये में विक्रय विलेख बेचाण का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया है अन्य किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है किसके नाम का पट्टा जारी करना है जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया इस का उल्लेख भी नहीं है मिसल नहीं होने से नक्शा भी कैसा बनाया किसके द्वारा बनाया गया स्पष्ट नहीं है। तीन वार्ड पंचों की कमेटी बनाई गई या नहीं उनके द्वारा मौका निरीक्षण कर क्या रिपोर्ट दी गई। आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया अथवा नहीं, किया गया तो चस्पा की तारीख, मौतबिरान के हस्ताक्षर व कहां–कहां चस्पा किया गया तथा किन दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए गए कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे की नियमितता, शुद्धता, एवं सत्यता का पता नहीं किया जा सकता है इसलिए जैर निगरानी विक्रय विलेख नियमानुसार प्रक्रिया के अभाव में किया जाना स्पष्ट होने से निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि पट्टे की नकल प्रदाय करते समय किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है पेपर की व गांवो में फोटो स्टेट की ए–4 साईज होने तथा पट्टा एफएस साईज होने से पर्ण फोटो प्रति नहीं आई है पट्टे के निचे का हिस्सा फोटो प्रति में नहीं आया है। दस्तावेज पट्टे संबंधी है तथा प्रार्थी की पत्नी उमराव कंवर की शकुन्तला के पक्ष में पट्टा बनाने की सहमति पत्र की फोटो प्रति पेश की है। यह भी कथन किया कि जब पट्टा बनाने की सहमति थी तो निगरानी पेश नहीं करनी थी प्रार्थी की पत्नी की सहमति से विक्रय विलेख जारी किया गया तो उन्हें इस बात की बखूबी जानकारी थी ऐसी स्थिति में निगरानी अन्दर म्याद भी पेश नहीं किया जाना स्पष्ट है। अपने कथनों की ताईद में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा म्याद के बिन्दु पर न्यायिक दृष्टांत RLW Raj 2013(1) page-164, DNJ 2011(3) page 1286, DNJ 1999(2) page 781, एवं RLR 2002(1) page-400 पेश किए गए। उपरोक्त सभी दृष्टांतों से भी निगरानी खारिज योग्य होना बताया। मिसल ग्राम पंचायत रेकर्ड में नहीं है तो यह ग्राम पंचायत की गलती है इसके लिए अप्रार्थिया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रार्थी को विक्रय विलेख जारी करते समय मिसल बनाई गई थी तथा इसके नं. 38/2012–13 थे। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही विधिसम्मत [illegible] थी इस लिए उक्त मिसल नहीं होने को आधार मानकर पट्टा खा[illegible] नहीं किया जा सकता है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर [illegible] रखा जाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:23:13 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया इस निगरानी के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु 3 हैः–

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश....................3

1. पट्टा 157(1) के तहत 50 वर्ष पूर्व का मकान बना हुआ है अथवा नहीं।
2. प्रमाणित प्रति मिसल व मूल पट्टा बुक व रसीद संख्या बाद में डाली गई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव रजिस्टर में प्रस्ताव पारित किया गया अथवा नहीं।
3. निगरानी अन्दर म्याद पेश की गई है या म्याद के बाहर है।

जैर निगरानी आराजी उमराव जो प्रार्थी की पत्नी है उसने उक्त आराजी सन् 1978 में क्रय की थी जो फोटो प्रति रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 23.6.1978 से स्पष्ट है अर्थात सन् 2013 में शकुन्तला के नाम पट्टा जारी किया तथा उमराव देवी पत्नी हीरालाल को उक्त भूखण्ड क्रय किए भी 50 वर्ष नहीं हुए है थे जबकि उक्त भूखण्ड उमराव द्वारा ही अप्रार्थिया शकुन्तला को रहने हेतु दिया गया था इस प्रकार जैर निगरानी विक्रय विलेख 157(1) के तहत पुश्तैनी होना मानकर जारी किया गया था। अतः 50 साल से अधिक कब्जा न होना प्रमाणित होता है तथा नियम 157(1) के तहत पट्टा दिया जाना न्यायोचित नहीं था जिससे विक्रय विलेख स्पष्टतया निरस्त योग्य है।

मिसल पंचायत में नहीं होने से नक्शा बनाया या नहीं किसके द्वारा कब प्रार्थना पत्र दिया गया तथा अन्य सभी नियम 145 से 156 तक की पालना की गई या नहीं अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्ताव में मात्र पत्रावली संख्या 1 से 101 में दो गवाहों के बयान लेने का उल्लेख है पुश्तैनी कब्जा सिद्ध होने से 157(1) के तहत पट्टा जारी करने का उल्लेख नहीं है सही प्रस्ताव के अभाव में भी पट्टा निरस्त योग्य है।

जब पट्टा ही नियमों के अनुरूप पालना करते हुए नहीं बनाया गया है तो एसे अनियमित विक्रय विलेख के लिए म्याद का बिन्दु कहीं भी विवाधक नहीं होने से विक्रय विलेख को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत चाणोद द्वारा मिसल संख्या 38/2012–13 में पारित आदेश एवं प्रस्ताव संख्या 5(8) दिनांक 15.1.2013 की पालना में जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 31.1.2013 जो शकुन्तला पत्नी कान्तिलाल परिहार निवासी चाणोद के पक्ष में जारी किया गया है निरस्त किए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:23:13 IST
Reason: SelfAttested